DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI DATED----------
MAY 11, 2025

DDA To Restore Streetlights In Narela Complex

Floats Tender, Contractor Will Ensure Safety Of Equipment

Vibha.Sharma
@timesofindia.com

New Delhi: Following numerous complaints from traders about stolen or missing streetlights, wires and poles across various blocks of the integrated freight complex in Narela, Delhi Development Authority has taken several measures to address these concerns. The missing streetlights were discouraging traders, who relocated to Narela from Old Delhi, from conducting their business operations in the area.

The authority has issued a tender for the renovation of the streetlight network on the 60-metre road between Phase I and II of the chemical traders' market, as well as on the 60-metre road from GT Karnal to IFC, Narela. The project will cost Rs28.1 lakh and will be completed within two months from the date of allotment or handing over of the site, whichever is later.

"The contractor will be responsible for ensuring the safety of materials against pilferage and damage until the installation work is completed and handed over to the department. The authority will retain the right to penalise the contractor for not completing the work within the stipulated period or if he abandons the site after taking over the possession," DDA stated in the tender document.

Besides installing streetlights and wires, the work to be carried out includes engaging labour, related materials, tools, equipment, and transport, which are necessary for the preparation and entire execution of the work. "All fittings, equipment, accessories, hardware, foundation bolts, terminal lugs for electric connections, cable glands and items which are necessary have been included in the scope of work."

Further checking existing cable continuity, making connections in the feeder pillar, excavation for blocked pipes for reopening the same, connection making in the pole connector box, and opening holes in the foundation for cable laying are included in the scope of work.

Over two decades ago, shopkeepers from the chemical market in Tilak Bazar (Khari Baoli), Old Delhi, received instructions from Delhi High Court to shift their operations to the outskirts. But even today, the place faces numerous challenges, including insufficient security arrangements, frequent thefts, limited police patrolling, lack of water and sewerage facilities, and poor accessibility.

The project is likely to cost ₹28.1 lakh and will be completed within two months from the date of allotment or handing over of site, whichever is later

Pradeep Gupta, who is the current president of Chemical Traders Association, Khari Baoli, stated that several poles in block C were without wires and lights. "It is easy to see wires being stolen. And this has been the situation for years. That's why people leave the place after 6 pm as it turns completely dark and chances of theft are high," he said.

Traders said that while the authority was installing new poles and wires, it was important that responsibility for their maintenance be given to an agency for a certain period.

DDA has also invited an agency for implementing a similar project for installing streetlights and removal of dark spots on the 24-metre wide road from Smriti Van to Kureni village via Gas Godown, Narela.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- दैनिक जागरण रविवार, 11 मई, 2025 ---------DATED----------

प्रियदर्शिनी विहार में मंदिर परिसर का आधा हिस्सा तोड़ा

डीडीए की कार्रवाई के दौरान मंदिर के गेट पर बैठीं स्थानीय महिलाएं • जागरण

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली: लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रियदर्शिनी विहार में अवैध रूप से बने लक्ष्मी नारायण मंदिर को तोड़ने का काम तीसरे दिन शनिवार को भी जारी रहा। इसके परिसर का आधे से अधिक का हिस्सा तोड़ दिया गया है। मंदिर का मुख्य हिस्सा अभी बाकी है।

अर्धसैनिक बल के सुरक्षा घेरे में यह कार्रवाई की जा रही है। डीडीए अधिकारियों की मानें तो उसे तोड़ने में एक-दो दिन का समय लगेगा। डीडीए की इस कार्रवाई के विरोध में महिलाएं वहीं बैठी हुई हैं।

मंदिर और उससे जुड़ा भवन काफी बड़े हिस्से में बना है। लोगों के मुताबिक इसका क्षेत्रफल करीब 926 वर्ग मीटर है। इसे बने हुए 45 वर्ष हो गए हैं। लंबे समय से इसका मामला कोर्ट में चल रहा था। वर्ष 2016 से यह मंदिर परिसर सील था। अब डीडीए कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इसे तोड़ रहा है। डीडीए अधिकारियों का कहना है कि स्कूल की जमीन पर मंदिर अवैध रूप से बना हुआ है। मंदिर परिसर बड़ा होने के कारण डीडीए को इसे तोड़ने में काफी समय लग रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- हिन्दुस्तान नई दिल्ली, सोमवार, 12 मई 2025 ---DATED---------------------

तैयारी | तैमूर नगर नाले के आसपास से नौ मीटर तक अवैध निर्माण हटाने के बाद डीडीए और निगम जल्द नाले का पुनर्निर्माण कार्य शुरू करेंगे

नाले के पुनर्निर्माण से दूर होगी जलभराव की दिक्कत

फॉलोअप

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दक्षिणी दिल्ली के तैमूर नगर नाले के आसपास से नौ मीटर तक अवैध निर्माण को हटा दिया गया है। अब डीडीए और निगम प्रशासन नाले के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करेंगे। इससे इलाके में होने वाली जलभराव की दिक्कत दूर होने की उम्मीद है।

निगम अधिकारियों ने बताया कि बारिश के मौसम में नाले के आसपास के इलाकों में जलभराव की शिकायत काफी दर्ज होती थी। इसे दूर करने के लिए अतिक्रमण हटाना महत्वपूर्ण था। विभागों की तरफ से दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में नाले को चौड़ा करने और सफाई के काम को सुनिश्चित किया जाएगा। इसे एक महीने में पूरा करने की योजना है।

नाले की लंबाई 500 मीटर से अधिक है। यह पूर्वी एवेन्यू रोड महारानी बाग के गेट नंबर-5 से शुरू होकर खिजराबाद मेन रोड तक जाता है। अतिक्रमण के कारण 20 से 30 फीट के नाले की चौड़ाई सिर्फ पांच फीट तक ही रह गई थी। इसके आसपास तैमूर नगर गांव, झुग्गी बस्तियां, श्रीनिवासपुरी, गढ़ी, कालिंदी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी वेस्ट जैसे क्षेत्र आते हैं।

तैमूर नगर नाले के पास बीते वर्ष कुछ ऐसे हाल थे।

अतिक्रमण हटाने के बाद रविवार को यह स्थिति दिखी। ● सलमान अली

बीते वर्ष भारी बारिश के दौरान हुई थी दिक्कत

बीते वर्ष 28 जून को दिल्ली-एनसीआर में बहुत तेज बारिश हुई थी। इसके बाद उपराज्यपाल ने अगले दिन कई विभागों के अधिकारियों के साथ इस नाले का निरीक्षण किया था। उस दौरान यह पाया गया का नाले में भारी मात्रा में गाद और कचरा होने से पानी बाहर नहीं निकल सका था और जलभराव हुआ।

आवंटी को 36 साल बाद फ्लैट देने के निर्देश

अदालत से

■ **हेमलता कौशिक**

याचिकाकर्ता को अन्य बकाए के भुगतान को कहा

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह वर्तमान समय में सोसाइटी के रखरखाव को लेकर जो भी रकम बनती है उसका भुगतान कर दें। उसके बाद आरसीएस अपना मंजूरी पत्र जारी कर देगा और डीडीए अन्य प्रक्रिया पूरी फ्लैट पर उसे कब्जा दे देंगे।

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने पिछले 36 साल से फ्लैट के लिए भटक रहे व्यक्ति को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह दो महीने के भीतर याचिकाकर्ता को उसी सोसाइटी और उसी वर्ग के फ्लैट का आवंटन करें।

उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटी (आरसीएस) को भी कहा है कि वह याचिकाकर्ता के फ्लैट को मंजूरी देकर फाइल डीडीए को भेजे। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह एवं न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पहले ही याचिकाकर्ता अपने हक के लिए बहुत भटक चुका है। अब और देरी उचित नहीं है। इससे पहले भी दो बार उच्च न्यायलय ने आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के पक्ष को सुना जाए। परन्तु प्रतिवादी आरसीएस व डीडीए ने पत्र व्यवहार तो किया लेकिन कोई पुख्ता अंत पर नहीं पहुंचे। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने हक संबंधी तमाम दस्तावेज पेश कर दिए हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वह सोसायटी में उसी मूल्य पर फ्लैट पाने का हकदार है जिसका भुगतान उसने वर्ष 1989 में कर दिया है।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि वह 19 मई 1986 को प्रतिवादी सोसाइटी का सदस्य बना था। 9 मार्च 1987 को सोसायटी द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसके बाद सोसायटी को डीडीए से जमीन मिलने के बाद 15 अप्रैल 1989 में याचिकाकर्ता ने संबंधित सोसाइटी में फ्लैट के लिए दो लाख 15 हजार जमा कराए, लेकिन फ्लैट आवंटित नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता ने इससे पहले दो बार उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन हर बार दस्तावेज की जांच के नाम पर मामला आगे नहीं बढ़ा। इस बार पीठ ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में दस्तावेज पेश करने को कहा। साथ ही आरसीएस और डीडीए को दस्तावेज देते हुए फ्लैट देना का आदेश दिया

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- हिन्दुस्तान नई दिल्ली, सोमवार, 12 मई 2025 ----DATED----

राजनिवास के आदेश पर भी नहीं हटाया अतिक्रमण

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। रजौकरी इलाके में नालों पर फॉर्महाउसों की ओर से किए गए अतिक्रमण को राजनिवास के आदेश पर भी नहीं हटाया गया है।

बीते चार अप्रैल को उपराज्यपाल की प्रमुख सचिव हरलीन कौर की तरफ से इसे लेकर डीडीए को पत्र भेजा गया है। इसमें 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन एक माह से अधिक समय बीतने के बावजूद भी कोई कार्रवाई मौके पर नहीं हुई है। रजौकरी और समालखां में नालों पर हो रखे अतिक्रमण को लेकर अप्रैल में आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह से दशकों पुराने नालों पर अतिक्रमण कर उन्हें खत्म किया जा रहा है। इसकी वजह से न केवल नाले खत्म हो रहे हैं, बल्कि आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है।

■ चार अप्रैल को डीडीए को भेजा गया था पत्र

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— THE INDIAN EXPRESS, TUESDAY, MAY 13, 2025

HC: Urgent to relocate Madrasi Camp dwellers before monsoon

Court postpones demolition to June 1

SOHINI GHOSH
NEW DELHI, MAY 12

THE DELHI High Court has postponed the demolition of the unauthorised Madrasi Camp — a jhuggi-jhopdi (JJ) cluster located on the Barapullah drain bank near Jangpura — to June 1, nearly three weeks after the scheduled date of May 10.

The authorities had issued a demolition notice to the squatters to remove encroachments and unauthorised construction on the Barapullah drain to de-clog it.

A bench of Justices Prathiba Singh and Manmeet Pritam Singh Arora was hearing a bunch of applications filed by Madrasi Camp dwellers, seeking the court's intervention in their relocation to Narela.

The court said that the relocation of Madrasi Camp residents is of "utmost urgency and significance, particularly in light of the approaching monsoon season". It also maintained that while the "clearance of Barapullah drain was imperative to prevent waterlogging during monsoon", the "rehabilitation of Madrasi Camp dwellers is also essential for the de-clogging of the Barapullah drain".

Of the 370 jhuggis in Madrasi Camp, residents of 189 have been found eligible for rehabilitation under the Delhi Slum and Jhuggi Jhopri Rehabilitation and Relocation Policy, 2015. Set to be rehabilitated to Narela, the residents had highlighted before the court that the flats where they would stay lacked basic amenities.

While noting that the "demolition ought to be done in a systematic manner", the HC directed the authorities — Delhi Development Authority (DDA), Municipal Corporation of Delhi, Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), Public Works Department and Government of National Capital Territory of Delhi — to hold two camps between May 10 and 12.

While the first camp "would be for handing over possession letters of the Narela flats", the second "shall be for the purpose for sanctioning loans, if required".

"... the representatives of banks shall be duly present at the camps so that if any of the dwellers wish to avail of loan facilities, it can be arranged without inconvenience," the HC directed.

The court also directed DDA and DUSIB to ensure that the amenities are made available at the flats in Narela by May 20.

After May 20, the bench directed, the Madrasi Camp dwellers "shall start moving their belongings to the respective flats allotted to them in Narela" and if any of the residents choose not to take possession letters or avail of loan facilities, "no further opportunity shall be granted to them for seeking allotment of the flats at Narela or any rehabilitation camps".

The court has given the dwellers time between May 20 and 31 to shift out of Madrasi Camp, following which, demolition shall begin from June 1.

Hindustan Times
NEW DELHI
TUESDAY
MAY 13, 2025

HC allows demolition of slum for clearing Barapullah drain

Shruti Kakkar
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi high court has ordered the demolition of a slum cluster encroaching upon public land near the old Barapullah bridge to facilitate the timely clearance of the Barapullah drain ahead of the impending monsoon season in the Capital.

In an order on Friday, the high court directed the Delhi government's Public Works Department (PWD) to commence the demolition of the Madrasi Camp from June 1.

"Timely clearance of the Barapullah drain is imperative to prevent severe waterlogging in the adjoining areas. After having considered the entire matter comprehensively, and the general circumstances currently prevalent, this court is of the opinion that the demolition ought to be done in a systematic manner. The demolition of the Madrasi camp shall commence from June 1, 2025," the court said in its order.

The demolition, which was to begin last September, was put on hold by the high court. In an order passed on September 10, 2024, the high court ordered status quo on a plea filed by the residents of the Madrasi Camp JJ cluster, granting temporary reprieve for residents. The decision to undertake the demolition was taken in compliance with the high court's directions to the Delhi Development Authority (DDA), in a separate proceeding, to remove unauthorised constructions along the Yamuna river belt.

Disposing of the slum dwellers' petition on Friday, a bench led by Justice Prathiba M Singh issued a slew of directions to undertake the process in a systematic manner and for the smooth rehabilitation of residents.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, MAY 13, 2025 ----DATED----

HC Sets Final Timeline For Shifting Of Madrasi Camp

Move To Enable Much-Delayed Clearing Of Barapullah Drain

Abhinav.Garg@timesofindia.com

New Delhi: To facilitate the smooth rehabilitation of the Madrasi Camp residents in Jangpura, Delhi High Court has laid down strict timelines. The move will enable the much-delayed clearing of the stretch by Barapullah drain.

In a recent order, the court issued a slew of directions, fixing June 1 as the date for Delhi Development Authority to start the demolition of the unauthorised squatters on the drain in south Delhi. However, it gave the settlers from May 20 to 31 to move their belongings while also ordering Delhi Urban Shelter Improvement Board and DDA to have alternatives ready in Narela by June 1.

The court underlined that it was imperative to clear the Barapullah drain to prevent severe waterlogging in the adjoining areas during the monsoon. "The demolition ought to be done in a systematic manner. The rehabilitation of the Madrasi Camp dwellers is also essential for declogging Barapullah drain. None of the dwellers can claim any rights beyond the right of rehabilitation as the land is public land, which is encroached upon," a special bench of Justices Prathiba M Singh and Manmeet PS Arora observed.

The authorities issued a demolition notice to the squatters to remove encroachment and unauthorised construction on Barapullah drain to declog it. The high court stated that their relocation to Narela was of utmost urgency, particularly in light of the approaching monsoon.

File photo

The court underlined that it was imperative to clear the Barapullah drain to prevent severe waterlogging in the adjoining areas during the monsoon

Agencies, including DDA, Municipal Corporation of Delhi, DUSIB, Public Works Department and Delhi govt, were ordered to hold two camps from May 19 to 20. One camp will be for handing over possession letters to the dwellers of the Narela flats while the other will be for sanctioning loans in the presence of bank officials.

"DDA/DUSIB shall ensure that all the amenities in the flats, such as fixtures and fittings, are available by May 20. After May 20, the eligible persons/dwellers from the Madrasi Camp shall start moving their belongings to the respective flats allotted to them in Narela. If any of the residents choose not to take the possession letters or avail of loan facilities, no further opportunity shall be granted to them for seeking allotment of the flats at Narela or any rehabilitation camps," the bench ordered, after the affected residents complained that the flats in Narela lacked basic amenities such as electricity, clean water and other essential facilities.

Last month, DDA informed the court that it conducted a draw of lots and offered 189 flats in Narela to the eligible beneficiaries. It said camps were held in April, but on April 12, no eligible person came forward to collect possession letters.

The court disposed of applications filed by several Madrasi Camp inhabitants seeking a stay on the demolition and said it was seized of the matter for over 10 months. Calling the camp an illegal construction, the court said it caused obstruction and clogging of the drain, resulting in severe waterlogging during rains, especially the monsoon.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, MAY 13, 2025 ----DATED----------

DDA to hire sports coaches with revenue sharing

Vibha.Sharma
@timesofindia.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) will recruit professional sports coaches across various disciplines at its sports complexes, offering a revenue-sharing arrangement.

In a notice dated May 9 inviting proposals for conducting coaching at the complexes, the authority said for outdoor coaching, revenue-sharing will be 60:40 between the coach / agency and DDA. In cases where DDA provides most training aids and indoor facilities, revenue-sharing will be 50:50.

The terms and conditions in the notice stated: "Mandatory free coaching is to be provided by the coaches or coaching agency to at least 10% of the trainees from economically weaker sections who have potential in the sport. If the management considers it appropriate to impart coaching to more than 10% of the total number of trainees from EWS, then the management would pay the coaches or agencies their share."

Photo for reprsentation

Free coaching will be provided to at least 10% of the trainees from economically weaker sections who have potential in sports sector

DDA is actively preparing the facilities to accommodate the anticipated surge in attendance during the upcoming summer holidays, particularly for temporary courses and specific sporting activities.

The timings and days for the coaching will be decided by the management as per the requirement and availability of the facilities. A maximum of two sports complexes will be awarded to any coach or agency in any discipline.

"Sports facilities at the complexes during peak hours -- 6-8am and 6-8pm -- would generally not be available for coaching, and utilisation of facilities during these timings would be exclusively for members. The difference in coaching rates for members and non-members at all sports complexes will be uniform at 25% additional charges for non-members," the notice stated.

The coaches will have a one-year contract, which can be extended annually for a maximum period of five years. "At each sports complex, in each discipline, generally one coaching contract would be awarded for a particular level of coaching. However, for different levels such as basic, intermediate and advanced in the same discipline, there can be different coaches," said the notice.

Currently, DDA manages 17 sports complexes with a combined membership of over 53,140, excluding dependents. These facilities serve more than 2.6 lakh visitors monthly. At present, the complexes operate 162 coaching programmes, catering to nearly 8,000 trainees. Coaching is provided to both members and non-members.

The DDA facilities include the Siri Fort Sports Complex, CWG Village Sports Complex, Yamuna Sports Complex, DDA Roshanara Club, Rohini Sports Complex, Vasant Kunj Sports Complex, and Dwarka Sector 11 and Sector 17 sports complexes, among others.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS— नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 13 मई 2025 ATED——————

अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर HC ने मांगी रिपोर्ट

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD और DDA से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमे वजीर नगर, कोटला मुबारकपुर मे रहने वाले कुछ लोगों द्वारा अपने घर की स्टिल्ट पार्किंग या बेसमेंट में ज्वलनशील और खतरनाक सामान से जुड़ी कारोबारी गतिविधियां चलाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और छह हफ्तों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

MCD और DDA से मांगी रिपोर्ट

कोर्ट इलाके के रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशन की याचिका पर विचार कर रहा था। एडवोकेट प्रवीण अग्रवाल द्वारा दायर याचिका में प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वे ज्वलनशील और खतरनाक सामानों से भरे व्यावसायिक परिसरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। मौजूदा याचिका कुछ निवासियों/घर मालिकों और दुकानदारों द्वारा जमा करके रखी गई अवैध लकड़ी, प्लाईवुड, थिनर, पेंट, वार्निश आदि उत्पादों से संबंधित है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 13 मई, 2025 ----------DATED----------

अब सौर ऊर्जा से जगमगाएगी दिल्ली विधानसभा

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: सोमवार को विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई। दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा होगी, जो पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलेगी। इस मौके पर एलजी वी के सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मौजूद रहे।

सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा की पहल की सराहना करते हुए एलजी सक्सेना ने कहा कि रखी गई यह आधारशिला सिर्फ एक सौर संयंत्र के लिए नहीं, बल्कि स्वच्छ व हरित भविष्य के लिए है, जो जिम्मेदार शासन की नींव है। उन्होंने बताया कि संयंत्र की क्षमता 200 किलोवाट से बढ़ाकर 500 किलोवाट की गई है। सक्सेना ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) विधानसभा को धरोहरस्थल घोषित करने के प्रयासों में पूरा सहयोग देगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल पीएम-सूर्य घर योजना के अनुरूप है। इस योजना के तहत नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली की मौजूदा बिजली मांग करीब 8,000 मेगावाट है, जो जल्द 9,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है।

विस अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, इस परियोजना से हर महीने लगभग 15 लाख की बिजली की बचत होगी। अतिरिक्त बिजली उत्पादन के कारण यह माडल राजस्व उत्पन्न करने वाला भी बन सकता है। इस योजना से बिजली बिल शून्य हो जाएंगे। सौर ऊर्जा परियोजना से होने वाली विधानसभा की 1.75 करोड़ की बचत विकास कार्यों में लगाई जा सकेगी। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद, विस उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने भी अपनी बात रखी।

सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करते उपराज्यपाल वीके सक्सेना साथ में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद विधायक पूनम भारद्वाज, अशोक देवराहा और अन्य • जागरण

योजना की खासियत

- विधानसभा परिसर में लगेगा 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र।
- हर महीने लगभग 15 लाख कीमत की बिजली की बचत होगी।
- विधानसभा की बिजली पर सालाना 1.75 करोड़ की बचत विकास कार्यों पर खर्च होगी।
- अतिरिक्त उत्पादन पर बिजली बेचकर राजस्व मिलने की भी उम्मीद।
- 45 दिनों के भीतर पूरी की जानी है परियोजना।

समयबद्ध प्रयास जरूरी >> संपादकीय

समयबद्ध प्रयास जरूरी

दिल्ली विधानसभा को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में की गई पहल स्वागतयोग्य है। 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखे जाने के साथ ही यह दावा भी किया जा रहा है कि अब इससे न सिर्फ बिजली की पूरी खपत सौर ऊर्जा से होगी, बल्कि इसके साथ ही यह विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित देश की पहली विधानसभा भी बन जाएगी। राजधानी में वर्तमान में प्रतिदिन बिजली की मांग आठ हजार मेगावाट के करीब है, जो पिछले वर्ष 8600 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जबकि यहां सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता लगभग 300 मेगावाट है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) अपनी कुल बिजली खपत का एक तिहाई सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है।

दिल्ली में कार्यरत सभी बड़े संस्थानों को अपनी बिजली खपत पूरी तरह सौर ऊर्जा पर लाने के प्रयास करने चाहिए

डीएमआरसी और विधानसभा की तरह दिल्ली सरकार के सभी विभागों और राजधानी में कार्यरत सभी बड़े संस्थानों को अपनी बिजली खपत को पूरी तरह सौर ऊर्जा पर लाने के प्रयास करने चाहिए। दिल्ली सरकार छोटे स्तर पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है, दिल्लीवासियों को इसका लाभ उठाना चाहिए। सौर ऊर्जा के अधिकतम इस्तेमाल से ऊर्जा उत्पादन के परंपरागत तरीकों से बचा जा सकेगा और क्षेत्र व देश में वायु प्रदूषण नियंत्रित करने और पर्यावरण बचाने में उल्लेखनीय योगदान दिया जा सकेगा। दिल्ली सरकार को इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए और इस दिशा में एक ठोस योजना बनाकर उसपर समयबद्ध तरीके से काम करना चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 13 मई, 2025 ---------DATED----------

राजधानी में दो जगह पांच सितारा होटल बनाने के लिए जमीन देगा डीडीए

संजीव गुप्ता • जागरण

नेहरू प्लेस और द्वारका में बनाए जाएंगे होटल, पीपीपी मोड के तहत डीडीए ने इच्छुक कंपनियों से मांगे प्रस्ताव

नई दिल्ली: अभी तक मुख्यतया फ्लैट बनाने एवं जमीन आवंटित करने तक सिमटा रहा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब अपनी खाली पड़ी जमीन से राजस्व अर्जित करने के नए-नए तरीके निकाल रहा है। इसी कड़ी में डीडीए नेहरू प्लेस और द्वारका में दो जगह पांच सितारा होटल बनाने के लिए जमीन देगा। जमीन 55 साल की लाइसेंस फीस पर दी जाएगी। मतलब जो भी होटल बनाएगा, उसे डीडीए को हर साल एकमुश्त रकम देनी होगी। डीडीए का कहना है कि इससे राजधानी के विकास में निजी कंपनियां भी अपना योगदान दे सकेंगी।

नेहरू प्लेस में जो जमीन है, वह लगभग 2.2 एकड़ की है। यह प्लाट नंबर ए चार है। द्वारका सेक्टर 23

आइएनए स्थित डीडीए मुख्यालय •

की जमीन 2.5 एकड़ से ज्यादा है। यह प्लाट ए है। होटल बनाने वाली कंपनियों को कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। ये नियम मास्टर प्लान 2021 एवं एकीकृत भवन उप नियम 2016 में दिए गए हैं। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय के नियमों के अनुसार होटल के लिए पांच सितारा रेटिंग भी लेनी होगी।

होटल बनाने के लिए डीडीए की शर्तें: नेहरू प्लेस में जमीन पर 325 फ्लोर एरिया रेशियो मिलेगा। यानी होटल बनाने वाली कंपनी जमीन के क्षेत्रफल से 3.25 गुना ज्यादा निर्माण कर सकती है। यहां पर 50 प्रतिशत जमीन पर निर्माण करने की अनुमति होगी। द्वारका में 375 एफएआर मिलेगा और 40 प्रतिशत जमीन पर निर्माण कर सकते हैं। डीडीए का कहना है कि 'दोनों जगह खाली हैं, इसलिए होटल बनाने वाली कंपनी को काम शुरू करने में आसानी होगी।' एफएआर का मतलब होता है कि जमीन पर कितनी ऊंचाई तक इमारत बनाई जा सकती है। अगर एफएआर ज्यादा है, तो इमारत भी ऊंची बना सकते हैं।

रिक्वेस्ट फार प्रपोजल की समयसीमा तय: डीडीए ने पांच मई को रिक्वेस्ट फार प्रपोजल जारी कर दिया है, जो भी कंपनी या फर्म होटल बनाने में दिलचस्पी रखती है, 18 जून तक जमीन देख सकती है। यदि किसी को कुछ पूछना है, तो 20 मई तक पूछताछ की जा सकती है। बोली लगाने की आखिरी तारीख 19 जून है।

रोहिणी और नरेला में दो स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स: डीडीए ने रोहिणी और नरेला में दो स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनाने के लिए 50-50 एकड़ जमीन भी मंजूर की है। इसके लिए भी इच्छुक कंपनियों से अनुरोध प्रस्ताव मंगाए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि 'इन काम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाए जाएंगे। इनमें खिलाड़ियों के लिए होटल और रहने की जगह भी होगी। दूसरे देशों से आने वाली टीमों के लिए ट्रेनिंग, रहने, खाने और मनोरंजन की सुविधा होगी।'

जमीन से राजस्व आने के उपाय खोज रहा डीडीए

डीडीए अधिकारियों का कहना है कि उनके पास जमीन कम होती जा रही है। इसलिए वे जमीन से पैसा कमाने के नए तरीके खोज रहे हैं। 24 अप्रैल को एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीडीए ने अपने बजट को मंजूरी दी थी। इसमें लाइसेंस शुल्क के आधार पर कई प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही गई थी। इन प्रोजेक्ट में द्वारका और नेहरू प्लेस में होटल, द्वारका में एक अस्पताल, रोहिणी और नरेला में एक मल्टी-इंटीग्रेटेड स्टेडियम और स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, रोहिणी में कार्पोरेट आफिस और द्वारका में एक गोल्ड सूक (सोने का बाजार) शामिल है।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
मंगलवार
13 मई 2025

दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा बनेगी, जो पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित होगी।

सोमवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य लोग मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने विधानसभा को सौर ऊर्जा संचालित बनाने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज रखी गई यह आधारशिला सिर्फ एक सौर संयंत्र के लिए नहीं बल्कि स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए है, जो जिम्मेदार शासन की नींव है। उन्होंने बताया कि संयंत्र की क्षमता 200 किलोवाट से बढ़ाकर 500 किलोवाट की गई है, जो स्थान और तकनीकी सीमाओं के बावजूद संभव हुआ। यह दिल्ली के नए स्वरूप और निरंतर विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सक्सेना ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण विधानसभा को धरोहर स्थल घोषित करने के प्रयासों में पूरा सहयोग देगा।

सौर ऊर्जा अपनाने पर सब्सिडी मिलेगी : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल पीएम-सूर्य घर योजना के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने पर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
NAME OF NEWSPAPERS---- नई दिल्ली | रविवार, 11 मई 2025 --DATED----

यमुना की दिखेगी खूबसूरत छटा

डीडीए की रिवरफ्रंट कायाकल्प परियोजना पर खर्च होंगे 82 करोड़

आदित्य पाण्डेय

नई दिल्ली। यमुना नदी के तटों को पर्यावरण अनुकूल और लोगों के लिए आकर्षक बनाने में डीडीए जुटा है। इसके लिए 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए 82 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस राशि से यमुना के बाढ़ के मैदानों का जीर्णोद्धार, इसके पारिस्थितिकी तंत्र को नया जीवन देने की तैयारी है।

असिता ईस्ट, बांसेरा, वासुदेव घाट जैसी परियोजनाओं के साथ दिल्लीवासियों को जोड़ना लक्ष्य है। दिल्ली की जीवन रेखा यमुना लंबे समय से प्रदूषण और अतिक्रमण की मार झेल रही है। डीडीए ने यमुना के तटों को साबरमती और गोमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है।

सांकेतिक

यमुना डूब क्षेत्र में कई पार्क और पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं। यहां घास के मैदान, फूल और छायादार पौधे लगाए जाने हैं। परियोजनाएं पूरी होने पर पर्यटन-अनुकूल भविष्य की नींव पड़ेगी।

साल के अंत में अलग दिखेगा यमुना का किनारा

डीडीए ने असिता ईस्ट और बांसेरा जैसे स्थल तैयार कर जनता के लिए खोल दिए हैं। मयूर प्रकृति पार्क और कालिंदी अविरल पर काम चल रहा है। 2023 की बाढ़ से कुछ परियोजनाएं प्रभावित हुईं। यमुना वाटिका और अमृत पार्क पहले से खुले हैं। वासुदेव घाट और वाटिका पार्क जैसी परियोजनाएं शुरुआती चरण में हैं। डीडीए ने 2025 के अंत तक इनके कुछ हिस्से खोलने की योजना बनाई है। मयूर प्रकृति पार्क को अक्तूबर 2026 तैयार होना है।

पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा रिवरफ्रंट

डीडीए यमुना के 22 किलोमीटर हिस्से को वजीराबाद से ओखला तक रिवरफ्रंट के रूप में विकसित कर रहा है। इसमें ग्रीन बेल्ट, साइकिल ट्रैक, और पार्किंग सुविधाएं शामिल हैं। मिलेनियम डिपो की जमीन पर टेंट, हैंडीक्राफ्ट स्टॉल, और बांस के पुल बनाए जा रहे हैं। एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर डीडीए यमुना पर रोपवे और केबलवे स्थापित करने के लिए स्थानों की पहचान कर रहा है, जो प्रदूषण-मुक्त परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देगा। यमुना को राष्ट्रीय जलमार्ग-110 के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत फेरी और क्रूज सेवाएं शुरू होंगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- millenniumpost
NEW DELHI | TUESDAY, 13 MAY, 2025 ED

'NO NEED TO GIVE FREE ELECTRICITY. YOU'LL BE ABLE TO MAKE YOUR OWN'

L-G and CM inaugurate Delhi Assembly's 500 kW solar proj

AIMAN FATIMA

NEW DELHI: In a landmark initiative to promote green governance, the Delhi Legislative Assembly is set to become the first in the country to operate entirely on solar energy. A 500 kW solar power plant will soon be installed at the Assembly premises, with the foundation stone laid on Sunday by Delhi's Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena, Speaker Vijender Gupta and Chief Minister Rekha Gupta.

"This is not just the foundation of a solar plant, it's the foundation of a cleaner, greener future rooted in responsible governance," said LG Saxena, commending the Delhi Assembly's leadership for scaling up the plant from 200 kW to 500 kW despite spatial and technical constraints. He also expressed the DDA's support in preserving the Assembly as a heritage site, noting, "Having visited the Assembly earlier, I am keen on protecting its rich history."

'Our aim is to start a new network of solar energy in the whole of Delhi'

Chief Minister Rekha Gupta echoed the sentiment, linking the solar plant to the PM-Surya Ghar Yojana. "Our aim is to start a new network of solar energy in the whole of Delhi. Every residential building or government building should have a solar plant, so that Delhi can stand on its feet and develop its green energy," she said. Emphasising self-reliance, she added, "There is no need to give free electricity. You will be able to make your own electricity, use it, and give it back to the government."

Gupta also announced a subsidy of Rs 78,000 for rooftop solar panels of up to 3 kW capacity under the scheme. "We want the people of Delhi to be inspired and move forward. Delhi should become green Delhi. Delhi should become clean Delhi," she added.

HIGHLIGHTS

» Gupta also outlined the financial impact of the project, stating it is expected to generate monthly savings of Rs.15 lakh, potentially saving Rs.1.75 crore annually

» 'These savings will recover the project cost and result in zero electricity bills. Saved funds to be redirected toward development works'

Speaker Vijender Gupta highlighted the Assembly's broader modernisation agenda, including the adoption of the National e-Vidhan Application (NeVA), digitization of the Assembly library, and the upcoming Light and Sound show. He called the solar initiative "a message to the nation that governance can be green, modern, and visionary."

Gupta also outlined the financial impact of the project, stating it is expected to generate monthly savings of Rs.15 lakh, potentially saving Rs.1.75 crore annually. "These savings will recover the project cost and result in zero electricity bills. The funds saved will now be redirected toward developmental work," he said, adding that the Assembly could eventually become a revenue generator by supplying surplus power to the grid. The ceremony was attended by key ministers, MLAs, senior officials, and dignitaries including Parvesh Sahib Singh, Ashish Sood, Deputy Speaker Mohan Singh Bisht, and Principal Secretary PWD A. Anbarasu.

"This marks a significant first step toward sustainable governance," said Bisht in his closing remarks.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- Pioneer
NEW DELHI | TUESDAY | MAY 13, 2025

LG Saxena lays foundation stone for 500-kW solar power plant in Delhi

PIONEER NEWS SERVICE ■ New Delhi

Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena laid the foundation stone of a 500-kW solar power plant at the Delhi Assembly on Monday, along with Chief Minister Rekha Gupta and Speaker Vijender Gupta.

Power Minister Ashish Sood, Public Works Department Minister Parvesh Verma, several MLAs and senior officers were also present on the occasion.

The 500-kW installation, scheduled for completion within 45 days, will significantly expand the House's existing solar infrastructure, the Assembly Secretariat said in a statement. The old 200-kW rooftop solar system is being dismantled to make way for the new 500-kW installation, which will enable the Assembly to run entirely on solar energy, it said.

The move is expected to result in zero electricity bills, generating estimated savings of approximately ₹15 lakh per month, while reducing the carbon footprint of the Assembly premises, it added.

The Delhi Assembly will soon become India's first legislative body to run entirely on solar energy, the statement said.

The speaker said the project will be completed within 45 days and help the Assembly save ₹1.75 crore annually through zero electricity bills.

The entire cost of the 500-kW solar plant will be recovered within a year, he said. "I hope this message of green energy will be adopted by Delhi people and they will install solar panels on their rooftops," the speaker said.

Delhi LG VK Saxena with state Assembly Speaker Vijender Gupta, Chief Minister Rekha Gupta and Minister Parvesh Sahib Singh Verma during the foundation stone laying of 500-kW solar power plant at Delhi Legislative Assembly premises on Monday RANJAN DIMRI

Saxena said the laying of the solar plant's foundation stone marked a historic occasion. He also announced that the Delhi Development Authority (DDA) will support another ambitious project of the Assembly, to transform it into a heritage site. The Chief Minister said her government is working to set up a solar-energy network in the city, with every government and private building having solar panels.

"Currently, Delhi requires around 9,000 MW peak power and through solar panels, people would be able to generate electricity, use it and also sell to the government," she said.

The government has declared a subsidy of ₹78,000 for up to 3 kW of installed solar power plants to encourage people, so that Delhi becomes a "clean and green" city, she said. The Chief Minister also pointed out that the solar power plant initiative aligns closely with the Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana, making Delhi Assembly the first legislative body in the country to fully operate on renewable energy.

Clear encroachment in drain, demolition on June 1: HC

PIONEER NEWS SERVICE ■ New Delhi

The Delhi High Court has outlined as imperative the clearance of Barapullah drain to prevent severe waterlogging during monsoon season and ordered demolition of Madrasi camp starting June 1.

Aside from the demolition action, the High Court ordered the relocation of displaced persons to Narela.

"The demolition ought to be done in a systematic manner. Rehabilitation of the Madrasi camp dwellers is also essential for de-clogging of Barapullah Drain. None of the dwellers can claim any rights beyond the right of rehabilitation, as the land is public land which is encroached upon," a bench of Justices Prathiba M Singh and Manmeet PS Arora said on May 9.

There also came directions for a smooth rehabilitation of Madrasi camp inhabitants starting May 20. The authorities had issued a demolition notice to the squatters to remove encroachment and unauthorised construction on the Barapullah Drain to de-clog it. The court said the relocation to Narela was of utmost urgency, particularly in light of the approaching monsoon season and timely clearance of the Barapullah Drain was imperative to prevent severe waterlogging in the adjoining areas.

Aside from the demolition action, the High Court ordered the relocation of displaced persons to Narela

The authorities, including DDA, MCD, DUSIB, PWD and Delhi government, were ordered to hold two camps from May 19 to May 20. While one camp would be for handing over possession letters to the dwellers of the Narela flats, the other one would be for the purpose of sanctioning loans with the presence of bank officials.

"The DDA/DUSIB shall ensure that all the amenities in the flats such as fixtures and fittings are available by May 20. After May 20, the eligible persons/dwellers from the Madrasi camp shall start moving their belongings to the respective flats allotted to them in Narela. If any of the residents choose not to take the possession letters or avail of loan facilities, no further opportunity shall be granted to them for seeking allotment of the flats at Narela or any rehabilitation camps," the bench said.

Between May 20 and May 31, all belongings should be moved from Madrasi camp and the demolition should commence June 1. The court disposed of applications filed by several Madrasi camp inhabitants seeking a stay on the demolition and said it was seized of the matter for over 10 months. The issue was over illegal encroachment of drains resulting in blockage of drains and river pollution.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
NAME OF NEWSPAPERS---- नई दिल्ली | मंगलवार, 13 मई 2025 ----DATED----

बारापुला नाले से अतिक्रमण हटाना जरूरी, 1 जून से करें कार्रवाई : हाईकोर्ट

अदालत ने कहा-नाले की सफाई के लिए मद्रासी कैंप के निवासियों का पुनर्वास आवश्यक

अदालत से

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में मद्रासी कैंप की सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण को 1 जून से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बारापुला नाले को अवरुद्ध होने से बचाने और मानसून में जलभराव रोकने के लिए निवासियों के नरेला में पुनर्वास को जरूरी बताया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि ध्वंस्तीकरण व्यवस्थित तरीके से हो, लेकिन नाले की सफाई के लिए मद्रासी कैंप के निवासियों का पुनर्वास जरूरी है। कोई भी निवासी पुनर्वास के अधिकार से आगे कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण है।

कोर्ट ने डीडीए, एमसीडी, डीयूएसआईबी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार को 10 मई से 12 मई तक दो शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया। एक शिविर नरेला में फ्लैटों का कब्जा पत्र सौंपने के लिए लगेगा, जबकि दूसरा ऋण स्वीकृति के लिए बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में लगेगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि मद्रासी कैंप के अधिकांश निवासियों को पुनर्वास प्रक्रिया की जानकारी है, क्योंकि उन्होंने पात्रता निर्धारण के लिए आयोजित सर्वेक्षण में हिस्सा लिया था। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई निवासी सर्वेक्षण से छूट गया है, तो डीयूएसआईबी द्वारा उनकी पात्रता का आकलन किया जाएगा।

अदालत ने यह भी नोट किया कि सितंबर 2024 से ध्वस्तीकरण को स्थगित रखा गया था। मानसून के निकट आने के कारण नरेला में पुनर्वास को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कोर्ट ने कहा कि बारापुला नाले की समयबद्ध सफाई आसपास के क्षेत्रों में जलभराव रोकने के लिए अनिवार्य है। यह आदेश यमुना में गिरने वाले नालों पर अनधिकृत अतिक्रमण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

भारतीय संस्था को मैक्स मूलर नाम का इस्तेमाल न करने का निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गोएथे इंस्टीट्यूट को मैक्स मूलर नाम को लेकर हुए विवाद में राहत दी है। अदालत ने जर्मन सांस्कृतिक संगठन गोएथे इंस्टीट्यूट के ट्रेडमार्क मामले में भारतीय संस्था को ''मैक्स मूलर'' और ''मैक्स मूलर इंस्टीट्यूट'' नामों का उपयोग करने से रोक दिया है। यह फैसला गोएथे इंस्टीट्यूट द्वारा दायर एक मुकदमे के बाद आया है, जिसमें उसने दावा किया था कि प्रतिवादी संस्था ने उसके ट्रेडमार्क का अनुचित उपयोग कर उसकी पहचान का दुरुपयोग किया। गोएथे इंस्टीट्यूट जर्मनी का प्रसिद्ध सांस्कृतिक संगठन है। संगठन ने भारत में अपनी गतिविधियां 1957 में कोलकाता में मैक्स मूलर भवन के नाम से शुरू की थीं। यह संगठन जर्मन भाषा के पाठ्यक्रम और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए जाना जाता है। गोएथे-इंस्टीट्यूट ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी संस्था (अभिषेक यादव और अन्य द्वारा संचालित) ने मैक्स मूलर नाम का उपयोग कर जर्मन भाषा प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान कीं, जिससे लोगों में भ्रम पैदा हुआ और संगठन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करण की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया गोएथे-इंस्टीट्यूट ने अपनी प्राथमिकता, सद्भावना और प्रतिष्ठा को दस्तावेज के आधार पर स्पष्ट रूप से स्थापित किया है। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS—— दैनिक भास्कर नई दिल्ली, मंगलवार 13 मई, 2025 ——DATED——

तेज और सुगम हो जाएगा पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिम दिल्ली के बीच सफर

साल के अंत तक पूरा हो जाएगा बारापुला फ्लाईओवर फेज-3 का काम: प्रवेश वर्मा

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बारापुला फ्लाईओवर परियोजना फेज-3 का काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने वर्षों से अटकी पड़ी बारापुला फ्लाईओवर परियोजना फेज-3 को इस साल दिसंबर तक पूरा करने का संकल्प लिया है। निर्माण पूरा होने के बाद यह फ्लाईओवर सराय काले खां के पास मौजूदा बारापुला कॉरिडोर से जुड़ेगा। बारापुला फ्लाईओवर बनने के बाद पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिम दिल्ली के बीच सफर तेज और सुगम हो जाएगा। ऐसे में लोगों के लिए पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा से एम्स, सफदरजंग और एयरपोर्ट पहुचना आसान हो जाएगा।

लोकनिर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बारापुला परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और शेष कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, बारापुला फेज-3 परियोजना पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 को दक्षिणी दिल्ली स्थित एम्स से जोड़ने के लिए विकसित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली में यातायात की भीड़भाड़ को कम करना और आवागमन को बेहतर बनाना है, जिससे लाखों नागरिकों को हर दिन लाभ मिलेगा। इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद से यह पीडब्ल्यूडी मंत्री वर्मा का इस परियोजना स्थल का दूसरा दौरा है। वर्मा ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर-2025 तक इस फ्लाईओवर को चालू किया जाए।

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा, परियोजना का 89% काम पूरा हो चुका है

पीडब्ल्यूडी मंत्री वर्मा ने बताया कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार परियोजना का लगभग 89% कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि, शेष कार्य पेड़ों के स्थानांतरण के लिए वन विभाग की स्वीकृति के अभाव में रुका हुआ है। उन्होंने कहा, करीब 250 पेड़ों को हटाने और दूसरी जगह शिफ्ट करने की आवश्यकता है, जिसके लिए स्वीकृति प्रक्रिया वन विभाग में अंतिम चरण में है। पेड़ों को स्थानांतरित करने के आदेश को जल्द पूरा किया जाएगा।

2014 में परियोजना मंजूर हुई, अगले साल शुरू हुआ काम, 2017 में पूरा होना था

पीडब्ल्यूडी मंत्री वर्मा ने बताया कि यह परियोजना 2014 में स्वीकृत हुई और 2015 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसे 2017 में पूरा होना था, लेकिन पिछली सरकार की लापरवाही, विभागीय समन्वय की कमी और प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण यह लगातार टलता रहा। इस परियोजना में 8 साल की देर हो चुकी है। निर्माण में देरी के कारण प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ेगी। अब नियमित निरीक्षण हो रहा है और तकनीकी अड़चनें दूर कर दी गई हैं।

मंत्री वर्मा ने कहा, पिछली सरकार की उदासीनता निर्माण में देरी का कारण रही

मंत्री वर्मा ने कहा कि बारापुला फ्लाईओवर के निर्माण में देरी का मुख्य कारण पिछली सरकार की उदासीनता रही है। उन्होंने कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने समय पर ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया और न ही फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाने के लिए पेड़ों की कटाई व स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की। नतीजतन, यह महत्वपूर्ण परियोजना वर्षों तक अटकी रही और लागत भी कई गुना बढ़ी। अब हम जल्द ही इस परियोजना के शेष कार्य को पूरा करेंगे।

इधर... बारापुला नाले पर बने मद्रासी कैंप में 1 जून से चलेगा बुलडोजर

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट अतिक्रमण के मुद्दे पर सख्त है। बारापुला नाले पर अतिक्रमण कर बनाए गए मद्रासी कैंप पर हाई कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलेगा। मद्रासी कैंप को तोड़ने को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली सरकार को आदेश दे दिया है।

मद्रासी कैंप को हटाने का काम 1 जून से शुरू होगा। हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा कि तोड़फोड़ का काम व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए और बारापुला नाले को साफ करने के लिए मद्रासी कैंप के निवासियों का पुनर्वास भी जरूरी है। किसी भी निवासी का पुनर्वास के अधिकार से ज्यादा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह जमीन सरकारी है जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। बेंच ने ध्यान दिया कि सितंबर 2024 से तोड़फोड़ रुकी हुई थी और मद्रासी कैंप के निवासी अदालती कार्यवाही के बारे में पूरी तरह से जानते थे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोगों ने पुनर्वास के लिए पात्रता का आकलन करने के लिए किए गए सर्वे में भाग भी लिया था।

कोर्ट ने कहा है कि इसके साथ ही डीडीए/डूसिब यह सुनिश्चित करेंगे कि 20 मई तक फ्लैटों में सभी जरूरी चीजें जैसे कि फिटिंग और अन्य सामान उपलब्ध हों। 20 मई के बाद मद्रासी कैंप के योग्य लोग निवासी नरेला में आवंटित किए गए अपने-अपने फ्लैटों में सामान ले जाना शुरू कर देंगे। बेंच ने आदेश दिया कि 20 से 31 मई तक मद्रासी कैंप से सभी सामान हटा दिया जाए।